

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 03-07-2026

विषय सूची

समुद्री दस्युता एवं सुरक्षा (Maritime Piracy and Security)

न्यायिक निर्णयों में अनियमित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की चेतावनी

I-2SEA: सबमरीन केबल प्रणाली

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA) की व्यवस्था का विस्तार

संक्षिप्त समाचार

शिमला समझौता

मानस पहल

चाल विश्लेषण (Gait Analysis)

मेकॉन लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-1 का दर्जा प्राप्त

आरबीआई की उच्च स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

हसदेव-अरण्य वन

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026

समुद्री दस्युता एवं सुरक्षा (Maritime Piracy and Security)

संदर्भ

- हाल ही में अदन की खाड़ी में समुद्री दस्युता के प्रयासों के प्रति भारतीय नौसेना की त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया ने समुद्री दस्युता के मुद्दे को पुनः प्रमुखता से सामने ला दिया है।

समुद्री दस्युता क्या है?

- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 (UNCLOS) के अनुसार, समुद्री दस्युता से आशय ऐसे किसी भी हिंसात्मक कृत्य, अवैध निरोध अथवा विनाशकारी कार्य से है, जिसे निजी लाभ के उद्देश्य से खुले समुद्र अथवा किसी भी राज्य के अधिकार-क्षेत्र से बाहर स्थित जलक्षेत्र में किसी जहाज, उस पर सवार व्यक्तियों अथवा संपत्ति के विरुद्ध किया जाए।
- हालाँकि, समुद्री दस्युता (Piracy) समुद्र में होने वाली सशस्त्र लूट से भिन्न है। सशस्त्र लूट किसी देश के प्रादेशिक समुद्री जल के अंदर होती है तथा उस पर संबंधित तटीय राज्य का अधिकार-क्षेत्र लागू होता है।

The World's Piracy Hotspots

Piracy incidents and successful hijackings of vessels between 2000 and 2024, by region*

■ Total reported incidents ● Successful hijackings

Region	Total reported incidents	Successful hijackings
South China Sea	2,005	42
West Africa	1,225	52
East Africa	1,108	161
Malacca, Singapore Strait	1,087	7
Indian Ocean	974	16
Latin America and the Caribbean	726	0
Arabian Sea	200	18
Mediterranean Sea	33	1
Other	76	0

समुद्री दस्युता के कारण

- स्थलीय सामाजिक-आर्थिक कारक:** गरीबी, बेरोजगारी, आजीविका की असुरक्षा तथा समुद्री संसाधनों में कमी के कारण तटीय समुदाय आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में समुद्री दस्युता की ओर आकर्षित होते हैं।
- राजनीतिक एवं सुशासन संबंधी विफलताएँ:** राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा समुद्री कानून-

प्रवर्तन तंत्र की कमजोरी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, जिनमें समुद्री दस्युता को प्रोत्साहन मिलता है।

- भौगोलिक एवं समुद्री यातायात संबंधी संवेदनशीलताएँ:** व्यस्त अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग, सामरिक समुद्री संकीर्ण मार्ग तथा सीमित निगरानी वाले विशाल समुद्री क्षेत्र समुद्री दस्युतों के लिए आकर्षक एवं सुगम लक्ष्य उपलब्ध कराते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध:** सुव्यवस्थित आपराधिक नेटवर्क वित्तपोषण, रसद, हथियार, खुफिया जानकारी तथा तस्करी एवं मानव तस्करी जैसी अन्य अवैध गतिविधियों से संबंध स्थापित कर समुद्री दस्युता को बढ़ावा देते हैं।

भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्त्व

- भारत के कुल व्यापार का लगभग **95%** (मात्रा के आधार पर) तथा लगभग **70%** (मूल्य के आधार पर) समुद्री परिवहन के माध्यम से संपन्न होता है।
- भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का **80%** से अधिक समुद्री मार्गों द्वारा परिवाहित किया जाता है।
- भारत की लगभग **11,098** किमी लंबी तटरेखा, लगभग **23.7** लाख वर्ग किमी का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तथा महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के समीप स्थित द्वीपीय क्षेत्र इसकी सामरिक महत्ता को बढ़ाते हैं।
- सुरक्षित समुद्री मार्ग भारत के व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था तथा हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में उसके रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना

- भारतीय नौसेना की भूमिका:** वर्ष 2008 से भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी तथा अफ्रीका के पूर्वी तट पर समुद्री दस्युता-रोधी गश्त हेतु अपनी इकाइयाँ तैनात कर रही है।
 - भारतीय नौसेना द्वारा मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास, संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) निगरानी तथा समन्वित गश्त (CORPATs) संचालित की जाती हैं।
- राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र जागरूकता (NMDA)** के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं का एकीकरण कर समुद्री गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी की जाती है।

- भारत सरकार ने सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र की स्थापना की है, जिसके 25 साझेदार देशों तथा 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय संगठनों के साथ वास्तविक समय में सूचना आदान-प्रदान की व्यवस्था है, जिससे समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जाता है।
- भारतीय तटरक्षक बल भारत के समुद्री क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा, खोज एवं बचाव, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण तथा तस्करी-रोधी अभियानों के लिए उत्तरदायी है।

सरकारी पहल

- **समुद्री दस्युता निरोध अधिनियम, 2022:** यह अधिनियम समुद्री दस्युओं के विरुद्ध, उनकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, कानूनी कार्रवाई हेतु एक सुदृढ़ विधिक ढाँचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत भारतीय प्राधिकरण समुद्री दस्यु जहाजों को जब्त कर सकते हैं तथा खुले समुद्र में किए गए अपराधों के लिए अभियोजन चला सकते हैं।
- **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास (SAGAR):** यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- **इंडो-पैसिफिक महासागर पहल :** यह पहल समुद्री सुरक्षा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देती है।

अंतरराष्ट्रीय पहल

- **समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS):** यह समुद्री दस्युता की कानूनी परिभाषा प्रदान करता है तथा राज्यों को खुले समुद्र में समुद्री दस्यु जहाजों को जब्त करने एवं उनके चालक दल को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO):** यह समुद्री खतरों के प्रबंधन तथा वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय नियम एवं मानक विकसित करता है।
- **जिबूती आचार संहिता:** यह पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री दस्युता से निपटने के लिए एक क्षेत्रीय सहयोगात्मक ढाँचा है।
- **एशिया में जहाजों के विरुद्ध समुद्री दस्युता एवं सशस्त्र लूट के दमन हेतु क्षेत्रीय सहयोग समझौता (ReCAAP):** वर्ष 2004 में स्थापित यह एशिया में

समुद्री दस्युता एवं जहाजों के विरुद्ध सशस्त्र लूट की घटनाओं को रोकने तथा सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु सरकार-से-सरकार के बीच किया गया प्रथम और एकमात्र क्षेत्रीय समझौता है।

चुनौतियाँ


- विशाल समुद्री क्षेत्र के कारण समुद्री गतिविधियों की निरंतर निगरानी तथा खतरों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना कठिन होता है।
- समुद्री दस्युओं एवं आपराधिक समूहों द्वारा ड्रोन तथा अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग ने समुद्री अपराधों को अधिक जटिल एवं परिष्कृत बना दिया है।
- विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों तथा अंतरराष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्रों के बीच अधिकारों के अतिव्यापन एवं कानूनी जटिलताओं के कारण समन्वय स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएँ एवं क्षेत्रीय संघर्ष समुद्री असुरक्षा को अधिक बढ़ा रहे हैं।

अदन की खाड़ी

- यह एक गहन जल वाली समुद्री खाड़ी है, जो अरब प्रायद्वीप में स्थित यमन तथा अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित सोमालिया के मध्य अवस्थित है।
- यह बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के माध्यम से अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है।



विभिन्न समुद्री क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा



स्रोत: TH, PIB

न्यायिक निर्णयों में अनियमित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की चेतावनी

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के एक निर्णय को निरस्त कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि न्यायाधिकरण ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न अस्तित्वहीन, फर्जी एवं भ्रमोत्पादक न्यायिक निर्णयों/नज़ीरों पर विश्वास किया था।

परिचय

- इस मामले ने न्यायिक निर्णय-निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को लेकर व्यापक चिंताओं को उजागर किया।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि एआई न्यायिक प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभा सकता है, किंतु न्यायनिर्णयन की अंतिम एवं पूर्ण जिम्मेदारी मानव निर्णयकर्ताओं के नियंत्रण में ही रहनी चाहिए।
- न्यायालय ने निर्देश दिया कि सर्वोच्च अधिवक्ता निकाय इस विषय को अत्यंत गंभीरता से ले तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु दिशानिर्देशक सिद्धांत निर्धारित करे। साथ ही, आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।

न्यायपालिका में एआई के उपयोग संबंधी उच्चतम न्यायालय के हालिया प्रारूप विनियम

- न्यायालय ने प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग की अनुमति प्रदान की है, जिनमें शामिल हैं—
 - वाद प्रबंधन
 - वाद सूची का निर्माण
 - सुनवाई का निर्धारण
 - न्यायालयीन कार्यवाहियों का प्रतिलेखन
 - निर्णयों का अनुवाद
- न्यायालयीय प्रक्रियाओं में जोखिम मूल्यांकन हेतु एआई प्रणालियों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—
 - अभियुक्त के फरार होने की संभावना का आकलन,
 - पुनः अपराध करने की संभावना का पूर्वानुमान,
 - जमानत पात्रता का मूल्यांकन,

- पक्षकारों अथवा साक्षियों की विश्वसनीयता का निर्धारण।
- एआई प्रणालियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
- एआई प्रणालियाँ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, लैंगिक पहचान, दिव्यांगता, भाषा, आर्थिक स्थिति अथवा संविधान द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देंगी।
- एआई-सहायित न्यायिक प्रणालियाँ डिजिटल विभाजन को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए तथा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारकों के लिए समान रूप से सुलभ रहनी चाहिए।
- न्यायपालिका में एआई के उपयोग की निगरानी हेतु उच्चतम न्यायालय में एक पूर्णकालिक शीर्ष निकाय के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

भारत की न्याय प्रणाली में एआई का उपयोग

- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित एआई उपकरण वर्तमान में निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान कर रहे हैं—
 - मौखिक परिचर्चाओं का प्रतिलेखन।
 - न्यायिक निर्णयों का अनुवाद।
 - ई-फाइलिंग में त्रुटियों की पहचान।
 - विधिक अनुसंधान।
 - मेटाडेटा का निष्कर्षण।
- विगत एक दशक में भारतीय न्यायपालिका ने मूलभूत कंप्यूटरीकरण से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय डिजिटल मंचों, वास्तविक समय डेटा प्रणालियों, वर्चुअल न्यायालयों तथा बहुभाषी न्यायिक निर्णयों की उपलब्धता जैसी उन्नत व्यवस्थाओं को अपनाया है।
- ई-कोर्ट्स परियोजना के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा इसकी उप-प्रौद्योगिकियों, जैसे—
 - मशीन लर्निंग,
 - ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन,
 - प्राकृतिक भाषा संसाधन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

भारत की न्यायपालिका में एआई के उपयोग का महत्त्व

- **लंबित मामलों का निस्तारण:** भारत की न्यायिक प्रणाली में बड़ी संख्या में लंबित मामले समयबद्ध न्याय प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं तथा न्यायपालिका में जनविश्वास को कमजोर करते हैं।
 - एआई वाद प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाकर लंबित मामलों में कमी लाने तथा न्यायिक प्रक्रियाओं में तीव्र लाने में सहायक हो सकता है।
- **कारागारों में भीड़भाड़ :** भारतीय कारागार वर्षों से अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक बंदियों को समायोजित कर रहे हैं।
 - एआई शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, जाँच की प्रगति पर निगरानी रखने, आवश्यक कार्रवाई की पहचान करने तथा जाँच की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में सहायक हो सकता है।
- **अनुवाद एवं सुगमता:** भारत में 22 अनुसूचित भाषाएँ तथा सैकड़ों बोलियाँ प्रचलित हैं।
 - एआई-आधारित अनुवाद तकनीक न्यायिक दस्तावेजों एवं निर्णयों को भाषाई बाधाओं से परे अधिक सुलभ बना सकती है।
 - **सुवास (SUVAAS—सर्वोच्च न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर)** परियोजना के माध्यम से हजारों न्यायिक निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।
- **सटीकता में वृद्धि:** एआई महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों की उपेक्षा को कम कर सकता है तथा आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक सूक्ष्म, सटीक एवं विश्वसनीय बना सकता है।
- **न्याय तक पहुँच में सुधार:** एआई-आधारित चैटबॉट एवं वर्चुअल सहायक, विशेष रूप से बिना विधिक प्रतिनिधित्व वाले वादकारियों को न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने, वाद की स्थिति जानने तथा याचिकाएँ दाखिल करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

चिंताएँ/चुनौतियाँ

- **पूर्वाग्रह एवं अत्यधिक निर्भरता:** एआई-आधारित विधिक अनुसंधान में खोज संबंधी पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है, जिससे प्रासंगिक न्यायिक नज़ीरें छूट सकती हैं।

- एआई पर अत्यधिक निर्भरता न्यायनिर्णयन को केवल नियम-आधारित निष्कर्षों तक सीमित कर सकती है तथा मानवीय विवेक एवं परिस्थितिजन्य विश्लेषण की उपेक्षा कर सकती है।
- **डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता :** न्यायिक डेटा के संग्रहण एवं उपयोग के संबंध में स्पष्ट विधिक एवं संस्थागत ढाँचे के अभाव में गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **अवसंरचनात्मक कमियाँ :** अनेक न्यायालयों में असमान इंटरनेट कनेक्टिविटी, पुराने हार्डवेयर तथा सीमित तकनीकी विशेषज्ञता जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं।
- **नैतिक चुनौतियाँ:** दंड निर्धारण (Sentencing) तथा पैरोल (Parole) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एआई के उपयोग से निष्पक्षता, न्याय तथा नैतिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
- **मानवीय अंतर्दृष्टि का अभाव:** एआई ऐसे सूक्ष्म मानवीय एवं परिस्थितिजन्य पहलुओं की उपेक्षा कर सकता है, जिनके मूल्यांकन के लिए मानवीय संवेदनशीलता, अनुभव एवं न्यायिक विवेक आवश्यक होता है।

आगे की राह

- एआई के उपयोग के संबंध में ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिससे गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रताओं तथा नैतिक मानकों की रक्षा सुनिश्चित हो, साथ ही इसके दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायी उपयोग भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक दक्ष, सुलभ, पारदर्शी एवं न्यायसंगत बना सकता है, बशर्ते इसके संभावित जोखिमों एवं चुनौतियों के समाधान हेतु पर्याप्त संस्थागत एवं विधिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँ।

स्रोत: TH

I-2SEA: सबमरीन केबल प्रणाली

समाचार में

- प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी **माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशंस** तथा एआई कनेक्टिविटी मंच **लाइटस्टॉर्म** के एक संघ द्वारा भारत, मलेशिया और

सिंगापुर को जोड़ने वाली एक नई सबमरीन केबल प्रणाली का निर्माण किया जाएगा।

I-2SEA: सबमरीन केबल प्रणाली

- **मार्ग एवं संरचना :** यह प्रणाली भारत के पूर्वी तट को, जहाँ हैदराबाद एवं चेन्नई में तीव्र गति से विकसित हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा हाइपरस्केलर डेटा सेंटर समूह स्थित हैं, सीधे सिंगापुर से जोड़ेगी, जो इस क्षेत्र का प्रमुख क्लाउड इंटरकनेक्ट एवं एआई हब है। साथ ही यह कुआलालंपुर (मलेशिया) के उभरते डेटा सेंटर कॉरिडोर को भी जोड़ेगी।
 - भारत में इसके दो लैंडिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे—
 - पहला मछलीपट्टनम में, जो समुद्र के अंदर से हैदराबाद तक सबसे कम दूरी वाला संपर्क उपलब्ध कराएगा।
 - दूसरा दक्षिण चेन्नई में एक नए एवं वैकल्पिक लैंडिंग स्थल पर स्थापित किया जाएगा।
- **उद्देश्य :** यह प्रणाली हाइपरस्केलर कंपनियों, जीपीयू (GPU) अवसंरचना प्रदाताओं तथा भारत-दक्षिण-पूर्व एशिया गलियारे में एआई प्रशिक्षण एवं अनुमान कार्यभार संचालित करने वाले उद्यमों की तीव्र गति से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विकसित की जा रही है।
 - इसका उद्देश्य विशेष रूप से हैदराबाद, चेन्नई एवं सिंगापुर जैसे प्रमुख डेटा सेंटर केंद्रों के मध्य उच्च मांग वाले एआई कार्यभार का तीव्र एवं विश्वसनीय डेटा संचार सुनिश्चित करना है।
- **समय-सीमा :** I-2SEA प्रणाली के वर्ष 2029 तक सेवा हेतु तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
 - इस उच्च क्षमता वाली केबल की अनुमानित लंबाई सिंगापुर से मछलीपट्टनम तक लगभग 3,600 किमी होगी, जिसके बाद हैदराबाद तक स्थलीय संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा।
 - यह प्रणाली सिंगापुर/मलेशिया-हैदराबाद कॉरिडोर में सर्वाधिक तीव्र डेटा संचरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जा रही है, जो क्षेत्र में एआई कार्यभार के लिए सर्वाधिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों में से एक है।

अंडर-सी केबल (सबमरीन केबल)

- ये केबल विश्व की इंटरनेट प्रणालियों को जोड़ने वाला प्रमुख माध्यम हैं।
- ये विभिन्न देशों के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) तथा दूरसंचार संचालकों को परस्पर जोड़ते हैं।
- ये मोटी, अत्यधिक सुरक्षित फाइबर-ऑप्टिक केबलें समुद्र तल पर बिछाई जाती हैं तथा अत्यधिक गति से विशाल मात्रा में डेटा का संचार करती हैं।
- ये समुद्र तट पर स्थित लैंडिंग स्टेशनों (Landing Stations) से जुड़ती हैं, जो इन्हें देश के आंतरिक दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ते हैं।
- स्थलीय केबलों एवं मोबाइल संचार टावरों के साथ मिलकर ये उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

लाभ

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** अंडर-सी केबल भारत की तीव्र गति से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना हैं।
 - ये फिन्टेक, ई-कॉमर्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं के निर्यात हेतु विशाल मात्रा में डेटा का तीव्र एवं सुरक्षित संचार सुनिश्चित करती हैं।
 - वित्तीय व्यापार तथा क्लाउड-से-क्लाउड समकालिकता जैसे वास्तविक समय आधारित अनुप्रयोगों के लिए उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाले डेटा नेटवर्क आवश्यक हैं।
- **एआई एवं डेटा सेंटर का विस्तार:** बड़े पैमाने पर एआई प्रशिक्षण तथा क्लाउड नेटवर्क के लिए वितरित डेटा सेंटर समूह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
 - इन केंद्रों की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण अत्यधिक बैंडविड्थ की मांग उत्पन्न हो रही है, जिसे पूरा करने के लिए आगामी पीढ़ी की अंडर-सी केबलों की आवश्यकता है।
- **घरेलू एवं क्षेत्रीय समावेशन:** चेन्नई-अंडमान एवं निकोबार द्वीप (CANI) केबल तथा कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप (KLI) केबल जैसी स्वदेशी परियोजनाओं ने दूरस्थ द्वीपीय क्षेत्रों को उच्च गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थानीय आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ किया है।

- **भू-राजनीतिक एवं समुद्री प्रभाव:** प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संघों की सबमरीन केबल परियोजनाओं के केंद्र के रूप में भारत का उभरना, उसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल ट्रांजिट हब तथा यूरोप, पश्चिम एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य सेतु के रूप में स्थापित कर रहा है।

संवेदनशीलताएँ एवं चुनौतियाँ

- **क्षति की संवेदनशीलता:** अंडर-सी केबलें मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों, जहाजों के लंगर, भूकंप, अंडर-सी भूस्खलन तथा चरम मौसमीय घटनाओं से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।
 - अधिकांश तकनीकी दोष उथले तटीय जल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जहाँ ये केबलें मानवीय गतिविधियों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।
- **भू-राजनीतिक संकीर्ण मार्ग एवं विध्वंस:** अंडर-सी केबलों का एक बड़ा भाग होरमुज जलडमरूमध्य तथा बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे सामरिक समुद्री संकीर्ण मार्गों से होकर गुजरता है।
 - इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय संघर्ष, भू-राजनीतिक तनाव अथवा विध्वंसकारी गतिविधियाँ वैश्विक इंटरनेट संपर्क को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जैसा कि हाल के लाल सागर संकट के दौरान देखा गया।
- **लैंडिंग स्टेशनों का अत्यधिक संकेन्द्रण:** भारत की लंबी तटरेखा होने के बावजूद अंडर-सी केबलों के लैंडिंग स्टेशनों का अत्यधिक भौगोलिक संकेन्द्रण एक प्रमुख जोखिम है।
 - किसी स्थानीय प्राकृतिक आपदा, नियामकीय अवरोध अथवा समुद्री दुर्घटना की स्थिति में भारत की इंटरनेट बैंडविड्थ का बड़ा भाग प्रभावित हो सकता है।
- **नियामकीय बाधाएँ एवं विलंब:** अंडर-सी केबल परियोजनाओं के लिए संचालकों को दूरसंचार, गृह, रक्षा, पर्यावरण तथा मत्स्य पालन मंत्रालयों सहित अनेक विभागों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।
 - स्वामित्व एवं सुरक्षा संबंधी कठोर नियम निजी क्षेत्र द्वारा परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को कठिन बनाते हैं।

- **मरम्मत क्षमता का अभाव:** भारत के पास अंडर-सी केबलों की मरम्मत हेतु स्वदेशी क्षमता उपलब्ध नहीं है तथा उसे विदेशी मरम्मत पोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।
 - परिणामस्वरूप, परिवहन समय, अनुमति एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के कारण मरम्मत कार्य में अनावश्यक विलंब होता है।

सुझाव

- भारत को ऑस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण करते हुए अपनी तटरेखा पर “केबल संरक्षण क्षेत्र” घोषित करने हेतु उपयुक्त कानून बनाना चाहिए।
- इन क्षेत्रों में अंडर-सी केबलों के निकट व्यावसायिक मत्स्यन, ड्रेजिंग तथा जहाजों के लंगर डालने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- भारत को मुंबई एवं चेन्नई पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक समुद्री लैंडिंग स्टेशनों का तीव्र विकास करना चाहिए।
 - विशाखापत्तनम (पूर्वी तट) तथा धुवरन (पश्चिमी तट) को वैकल्पिक लैंडिंग हब के रूप में शीघ्र विकसित किया जाना चाहिए, जिससे नेटवर्क में आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षा एवं मार्ग विविधता सुनिश्चित हो सके।
- दूरसंचार विभाग (DoT) को सबमरीन केबल परियोजनाओं के लिए एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली लागू करनी चाहिए, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल एवं त्वरित बन सकें।
- अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने से गूगल , मेटा तथा माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक क्लाउड एवं एआई हाइपरस्केलर कंपनियों से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया जा सकेगा।
- स्वदेशी केबल बिछाने एवं मरम्मत पोतों का विकास आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।
- भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल को अपने समुद्री क्षेत्र जागरूकता तंत्र में अंडर-सी केबलों की निगरानी को सम्मिलित करना चाहिए तथा शत्रुतापूर्ण हस्तक्षेप की रोकथाम हेतु मानवरहित जलमग्न वाहन (UUVs) का उपयोग बढ़ाना चाहिए।

स्रोत : TH

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA) की व्यवस्था का विस्तार

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन करते हुए कोशिका अथवा स्टेम सेल-व्युत्पन्न उत्पादों, जीन चिकित्सीय उत्पादों तथा ज़ेनोग्राफ्ट को केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA) के दायरे में सम्मिलित कर लिया है।

परिचय

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशिष्ट श्रेणियों की महत्वपूर्ण औषधियाँ एवं जैविक उत्पाद केंद्र एवं राज्य नियामक प्राधिकरणों की संयुक्त नियामकीय निगरानी के अधीन आते हैं।
 - इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
 - टीके
 - बड़ी मात्रा में अंतःशिरा द्रव (LVPs) अर्थात् 100 मिलीलीटर से अधिक की अंतःशिरा (IV) द्रवियाँ
 - पुनर्संयोजित डीएनए (rDNA) आधारित औषधियाँ।
 - वर्तमान संशोधन के माध्यम से इस सूची का विस्तार करते हुए उभरती हुई चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।
- **कोशिका अथवा स्टेम सेल-व्युत्पन्न उत्पाद:** इनमें स्टेम सेल आधारित पुनर्योजी उपचार तथा सीएआर-टी कोशिका चिकित्सा जैसे उपचार सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग रक्त कैंसर सहित विभिन्न रोगों के उपचार में बढ़ रहा है।
- **जीन चिकित्सीय उत्पाद:** इनमें जीन प्रतिस्थापन तथा जीन संपादन आधारित उपचार सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग आनुवंशिक विकारों एवं विभिन्न प्रकार के कैंसरों के उपचार में किया जा रहा है।
- **ज़ेनोग्राफ्ट :** ये पशु ऊतकों से प्राप्त उत्पाद होते हैं, जैसे— हृदय वाल्व, जिन्हें मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है।
 - इनका उपयोग मुख्यतः हृदय रोग विज्ञान तथा अस्थि रोग विज्ञान में किया जाता है।

- चूंकि ये प्रौद्योगिकियाँ चिकित्सा विज्ञान के अत्यधिक जटिल, विशिष्ट एवं तीव्र गति से विकसित हो रहे क्षेत्र हैं, इसलिए रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन पर अधिक कठोर नियामकीय निगरानी आवश्यक है।
- **महत्त्व :** इन उत्पादों को CLAA ढाँचे के अंतर्गत शामिल किए जाने से केंद्रीय एवं राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा संयुक्त निगरानी सुनिश्चित होगी।
- इससे पूरे देश में नियामकीय मानकों की एकरूपता स्थापित होगी।

भारत में केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA) का ढाँचा

- केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA), औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत स्थापित एक नियामकीय व्यवस्था है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार कुछ विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण श्रेणियों की औषधियों के लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करती है।
- इस व्यवस्था का संचालन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन किया जाता है।
- **उद्देश्य:**
 - महत्वपूर्ण औषधियों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानकों को सुनिश्चित करना।
 - गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा तथा नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करना।
 - विभिन्न राज्यों में लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में होने वाली असमानताओं को समाप्त करना।
- CLAA ढाँचा किस प्रकार कार्य करता है?
 - निर्माता लाइसेंस के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है।
 - राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण निर्माण इकाई का निरीक्षण करता है तथा सद्भावनापूर्ण विनिर्माण पद्धतियों (GMP) के अनुपालन का परीक्षण करता है।
 - आवेदन संतोषजनक पाए जाने पर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण अपनी अनुशंसा केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA) को भेजता है।

- इसके पश्चात् CLAA स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव का मूल्यांकन कर लाइसेंस को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करता है।
- **CLAA ढाँचे के अंतर्गत सम्मिलित औषधियाँ :** केंद्र सरकार समय-समय पर उन औषधियों की श्रेणियाँ अधिसूचित करती है, जिनके लिए CLAA की स्वीकृति आवश्यक होती है। इनमें सामान्यतः निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
 - रक्त एवं रक्त उत्पाद
 - टीके
 - अंतःशिरा द्रव / बड़ी मात्रा में अंतःशिरा द्रव
 - पुनर्संयोजित डीएनए आधारित उत्पाद
 - सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य महत्वपूर्ण जैविक उत्पाद
- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की भूमिका:** यह केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
 - अधिसूचित महत्वपूर्ण औषधियों के लिए लाइसेंस स्वीकृत करता है।
 - औषधियों के आयात, नई औषधियों की स्वीकृति तथा नैदानिक परीक्षणों का विनियमन करता है।
 - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के देशव्यापी समान प्रवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

शिमला समझौता

संदर्भ

- 2 जुलाई, 2026 को शिमला समझौते के 54 वर्ष पूर्ण हुए।

परिचय

- शिमला समझौता वर्ष 1972 में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् दोनों देशों के मध्य स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संपन्न हुआ था।

- इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे।

शिमला समझौते के प्रमुख प्रावधान

- **शांतिपूर्ण समाधान:** दोनों देशों ने अपने सभी विवादों का समाधान किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से करने पर सहमति व्यक्त की।
- **नियंत्रण रेखा (LoC):** जम्मू-कश्मीर में युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा (LoC) के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया तथा दोनों पक्षों ने इसे एकतरफा रूप से परिवर्तित न करने का संकल्प लिया।
- **युद्धबंदियों की रिहाई:** भारत ने पाकिस्तान के युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति दी, जबकि पाकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने तथा बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

स्रोत: IE, IT

मानस पहल


संदर्भ

- राष्ट्रीय मादक पदार्थ हेल्पलाइन 'मानस (MANAS)' मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने तथा पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित मंच प्रदान कर भारत के नशा-उन्मूलन अभियान को सुदृढ़ बना रही है।

परिचय

- मानस (MANAS – मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र) का शुभारंभ वर्ष 2024 में गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के सहयोग से किया गया।
- सुरक्षित एवं प्रौद्योगिकी-संचालित मंच के रूप में विकसित MANAS नागरिकों को—
 - मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने,
 - परामर्श प्राप्त करने,

- तथा पुनर्वास सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह मंच राष्ट्रीय हेल्पलाइन संख्या 1933, आधिकारिक पोर्टल, ई-मेल तथा उमंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।
- MANAS, डिजिटल इंडिया की परिकल्पना तथा नशा मुक्त भारत के मिशन को एकीकृत करता है।



मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के विरुद्ध भारत का अभियान

- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय एवं नशीले पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करे।
- **वैश्विक प्रतिबद्धता:** भारत निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों का पक्षकार है—
 - 1961 का मादक औषधियों पर एकल अभिसमय।
 - 1971 का मनःप्रभावी पदार्थ अभिसमय।
 - 1988 का अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय।
- **विधिक ढाँचा :** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
 - नारकोटिक ड्रग्स एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985
 - अवैध मादक पदार्थ तस्करी निवारण अधिनियम (PITNDPS Act), 1988
- **प्रमुख पहल :** मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की निगरानी हेतु निदान (NIDAAN) पोर्टल।
 - जागरूकता, रोकथाम एवं पुनर्वास के लिए नशा मुक्त भारत अभियान।

स्रोत: PIB

चाल विश्लेषण (Gait Analysis)

संदर्भ

- हाल ही में पुणे में हुए एक हत्या के मामले में जाँच एजेंसियाँ फॉरेंसिक चाल विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से सीसीटीवी फुटेज की तुलना कर जाँच में सहयोग प्राप्त कर रही हैं।

चाल विश्लेषण क्या है?

- चाल विश्लेषण मानव के चलने अथवा दौड़ने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है।
- चलना अथवा दौड़ना एक जटिल शारीरिक गतिविधि है, जिसमें मांसपेशियाँ, अस्थियाँ तथा तंत्रिका तंत्र निरंतर समन्वित रूप से कार्य करते हैं।
- चाल विश्लेषण इन गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन कर यह समझने का प्रयास करता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति किस प्रकार चलता है।

चाल चक्र क्या है?

- **चाल चक्र (Gait Cycle)** उस क्रमिक प्रक्रिया को कहते हैं, जो एक पैर के भूमि को स्पर्श करने से प्रारंभ होकर उसी पैर के पुनः भूमि को स्पर्श करने तक चलती है।
- इसे मुख्यतः दो चरणों में विभाजित किया जाता है—
 - **स्थापन चरण:** इस चरण में पैर भूमि के संपर्क में रहता है तथा यह चरण तब समाप्त होता है जब पैर की उँगलियाँ भूमि से ऊपर उठती हैं।
 - इस दौरान शरीर भूमि से उत्पन्न आघात को अवशोषित करते हुए पूरे शरीर के भार को वहन करता है।
 - **स्विंग चरण:** इस चरण में पैर भूमि से ऊपर रहता है तथा आगामी कदम के लिए आगे बढ़ता है।
 - इस अवधि में शरीर यह सुनिश्चित करता है कि पैर की उँगलियाँ भूमि से न घिसें तथा पैर अगली बार भूमि पर उचित स्थिति में पड़े।

चाल विश्लेषण के अनुप्रयोग

- **नैदानिक अध्ययन:** चाल विश्लेषण के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को दर्द क्यों हो रहा है अथवा किसी विशेष चिकित्सीय स्थिति की प्रगति किस प्रकार हो रही है।

- खिलाड़ी अपनी दौड़ने की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार हेतु इसका उपयोग करते हैं।
- **फॉरेंसिक उपयोग** : फॉरेंसिक चाल विश्लेषण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति की चाल, जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है, किसी ज्ञात व्यक्ति की चाल से सामंजस्यशील है या नहीं।
- **रोगों की पहचान एवं उपचार** : इसका उपयोग किसी व्यक्ति की गतिशीलता में असामान्यताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।
 - चिकित्सक इसका उपयोग **सेरेब्रल पाल्सी** , **पार्किंसन रोग** तथा **स्ट्रोक** के बाद पुनर्वास के दौरान रोगियों के लक्षणों के प्रबंधन में करते हैं।

स्रोत: TH

मेकॉन लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त

संदर्भ

- इस्पात मंत्रालय ने मेकॉन लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति दे दी है।

मेकॉन लिमिटेड के बारे में

- मेकॉन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय **राँची (झारखंड)** में स्थित है।
- यह भारत के प्रमुख **अभियांत्रिकी** , **परामर्श** , **परियोजना प्रबंधन** एवं **अनुबंध निष्पादन** संगठनों में से एक है।
- यह **इस्पात मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अनुसूची 'ए' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) है।

मिनीरत्न का दर्जा क्या है?

- मिनीरत्न का दर्जा **लोक उद्यम विभाग (DPE)** द्वारा पात्र एवं लाभ अर्जित करने वाले **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs)** को प्रदान किया जाता है।
- इसकी शुरुआत **अक्टूबर, 1997** में की गई थी।
- इसका उद्देश्य दक्ष एवं लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों को **अधिक वित्तीय एवं परिचालनिक स्वायत्तता** प्रदान करना है।

- वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

- **मिनीरत्न श्रेणी-I**
- **मिनीरत्न श्रेणी-II**

मिनीरत्न दर्जा प्राप्त करने की पात्रता

- **मिनीरत्न श्रेणी-I**: उपक्रम ने निरंतर **विगत तीन वर्षों** में लाभ अर्जित किया हो।
 - इन तीन वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष में **कर-पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपये** या उससे अधिक रहा हो।
 - उपक्रम की **सकारात्मक निवल संपत्ति** हो।
- **मिनीरत्न श्रेणी-II**: उपक्रम ने निरंतर **विगत तीन वर्षों** में लाभ अर्जित किया हो।
- उपक्रम की **सकारात्मक निवल संपत्ति** हो।

स्रोत: PIB

आरबीआई की उच्च स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी रूप से अपनी एनबीएफसी (NBFC) मास्टर दिशानिर्देशों में “सार्वजनिक निधियों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति” की परिभाषा को पुनः लागू कर दिया है।

क्या आप जानते हैं?

- अप्रैल 2026 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से आरबीआई ने “सार्वजनिक निधियों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति” को इस प्रकार परिभाषित किया था— “ऐसी निधियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि उन सहयोगी एवं समूह संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जिन्हें सार्वजनिक निधियों तक पहुँच प्राप्त है।”
- आरबीआई ने उच्च स्तरीय एनबीएफसी (NBFC-UL) के निर्धारण की पूर्व पद्धति को समाप्त करते हुए एक सरल मानदंड अपनाया है, जिसके अनुसार—

- ₹1 लाख करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्तियों वाली एनबीएफसी को NBFC-UL के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- आरबीआई के नियमों के अनुसार—
 - अधिसूचित किए जाने के तीन वर्षों के अंदर NBFC-UL को किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (List) होना होगा।
 - साथ ही उसे अधिक कठोर कॉर्पोरेट प्रशासन एवं प्रकटीकरण संबंधी मानकों का पालन करना होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) वह कंपनी है जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 के अंतर्गत हुआ हो तथा जिसका प्रमुख व्यवसाय निम्नलिखित वित्तीय गतिविधियाँ हों—
 - ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना,
 - शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, डिबेंचर एवं प्रतिभूतियों का अधिग्रहण,
 - सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश,
 - पट्टे,
 - किराया-क्रय आदि।
- निम्नलिखित प्रमुख व्यवसाय करने वाली कंपनियाँ NBFC की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होतीं—
 - कृषि,
 - औद्योगिक गतिविधियाँ,
 - वस्तुओं का व्यापार (प्रतिभूतियों को छोड़कर),
 - सामान्य सेवाएँ,
 - अचल संपत्ति का क्रय-विक्रय अथवा निर्माण।

भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकरण की आवश्यकताएँ

- कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 के अंतर्गत होना चाहिए।
- उसे आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- कंपनी के पास न्यूनतम ₹10 करोड़ की स्वामित्व निधि होनी चाहिए।

- नोट: विशेष श्रेणी की NBFCs के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ निर्धारित हैं।

- कंपनी को आरबीआई के प्रवाह पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

बैंकों एवं NBFCs के मध्य प्रमुख अंतर

- NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं।
- NBFCs भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होतीं तथा स्वयं के नाम से चेक जारी नहीं कर सकतीं।
- जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) द्वारा प्रदान की जाने वाली जमा बीमा सुविधा, जमा स्वीकार करने वाली NBFCs के जमाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं होती।

स्रोत: IE

हसदेव-अरण्य वन संदर्भ

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरण्य वनों में स्थित केंते एक्सप्लोरेशन एकीकृत कोयला ब्लॉक में खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

हसदेव-अरण्य वन

- हसदेव-अरण्य वन छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा एवं सूरजपुर जिलों में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- इन्हें मध्य भारत के हरित फेफड़े के रूप में जाना जाता है।
- यहाँ लगभग—
 - 640 पादप प्रजातियाँ तथा
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध 9 वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें सर्वोच्च स्तर का विधिक संरक्षण प्राप्त है।
- यह क्षेत्र महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदेव नदी का जलग्रहण क्षेत्र भी है।

भारत में कोयले का भौगोलिक वितरण

- **गोंडवाना कोयला:** भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 98% भाग गोंडवाना काल से संबंधित है
 - ♦ यह मुख्यतः निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है—
 - छत्तीसगढ़
 - झारखंड
 - ओडिशा
 - मध्य प्रदेश
 - आंध्र प्रदेश आदि।
- गोंडवाना कोयला खनन के प्रमुख क्षेत्रः:
 - ♦ **दामोदर घाटी:** डालटनगंज
 - बोकारो
 - झरिया
 - धनबाद
 - रानीगंज
 - दुर्गापुर
 - ♦ **सोन घाटी:** उत्तर कोयल नदी (North Koel River) से संबद्ध
 - सिंगरौली
 - ♦ **महानदी घाटी:** हसदेव
 - ईब (Ib)
 - दक्षिण कोयल नदी क्षेत्र
 - कोरबा
 - झिलमिली
 - तालचेर
 - ♦ **गोदावरी एवं वर्धा घाटी :** सिंगरेनी
 - कोठागुडेम (तेलंगाना)
 - कामठी घाटी (नागपुर, महाराष्ट्र)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026

समाचार में

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP)

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो देश के बच्चों के असाधारण साहस, धैर्य, सृजनात्मकता, दृढ़ संकल्प तथा अदम्य आत्मबल का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है।
 - ♦ इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार निम्नलिखित छह श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है—
 - ♦ वीरता
 - ♦ समाज सेवा
 - ♦ पर्यावरण
 - ♦ खेल
 - ♦ कला एवं संस्कृति
 - ♦ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है।
- किसी भी पात्र बालक/बालिका का नामांकन कोई भी भारतीय नागरिक, विद्यालय, संस्था अथवा संगठन कर सकता है।
- बच्चे स्वयं भी स्व-नामांकन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक, एक प्रमाण-पत्र तथा एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

वीर बाल दिवस

- भारत सरकार प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाती है।
- यह दिवस दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के सुपुत्र साहिबजादा ज़ोरावर सिंह एवं साहिबजादा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है।
- शहादत के समय ज़ोरावर सिंह की आयु 9 वर्ष तथा फतेह सिंह की आयु 7 वर्ष थी।
- 26 दिसंबर, 1704 को उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए दिए गए दबाव को अस्वीकार करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया।
- उनकी शहादत साहस, नैतिक दृढ़ता तथा अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है।
- विपरीत परिस्थितियों में प्रदर्शित उनका त्याग एवं वीरता आज भी देश के बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत है।

स्रोत: PIB

